

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4168/2022

श्रीमती क्युरियस दयाल

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022

आदेश की दिनांक : 18.10.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य

एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पी.ई.टी (ग्रेड-2), के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविललाईन, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलाना, लाडपुरा, कोटा किसी अन्य कार्मिक को समंजित (Accommodate) करने के लिए किया गया। राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(ii) लागू होते हैं परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश उक्त नियम 2011 के नियम 8(ii) के विपरीत जारी किया गया है। क्योंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में किया गया है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक-1) नियमों के विपरीत जाकर जारी किया गया है, जो अवैध है। अपीलार्थी हृदय रोग की गंभीर बीमारी से पीडित है तथा अपीलार्थी का घुटना बदला (Knee Replacement) गया है जिससे अपीलार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त

किया जाकर अपीलार्थी को निरन्तर पी.ई.टी (ग्रेड-2), के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविललाईन, कोटा में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी हृदय रोग की गंभीर बीमारी से पीडित है तथा अपीलार्थी का घुटना बदला (Knee Replacement) गया है जिससे अपीलार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य